



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03072026-274054
CG-MH-E-03072026-274054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3306]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3306]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 24 जून, 2026

का.आ. 3440(अ).— जबकि, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या G.S.R. 455 (E), दिनांक 3 जुलाई, 2025 के द्वारा—जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 11 जनवरी, 2023 को प्रकाशित हुई थी और जिसे रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20A के उप-खंड (1) के तहत जारी किया गया था—केंद्र सरकार ने, भुज-नलिया गेज परिवर्तन (101.25 किमी) के विस्तार के रूप में वायोर नई लाइन (24.65 किमी) तक, 'ROB-62' नामक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के उद्देश्य से, उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र "दिव्य भास्कर" (गुजराती), "यंग लीडर (हिंदी) & "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया"(अंग्रेजी), 11 जुलाई 2025 में उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था, और जबकि, आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं;

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (एक) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है. अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा

20 ई की उप-धारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जाएगी;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी बंधनों से मुक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जिला कच्छ भुज, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (24.65 कि.मी.) तक विस्तार के संबंध में आरओबी-62 को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिला: कच्छ तालुका : नखत्राणा

क्र. स.	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भूमि मालिक / इच्छित व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नखत्राणा	मंगवाना	165	निजी	खेती	1404	विजयाबेन रवजी पोंकर
2	नखत्राणा	मंगवाना	164	निजी	खेती	984	विजयाबेन रवजी पोंकर
3	नखत्राणा	मंगवाना	166/1	निजी	खेती	1301	हरेश विश्राम पटेल और सुरेश विश्राम पटेल
4	नखत्राणा	मंगवाना	358/1	सरकार	गैर-कृषि	1605	जियापर ग्राम पंचायत
5	नखत्राणा	मंगवाना	171/1	निजी	खेती	46	पटेल गंगादास पाचन वसानी
6	नखत्राणा	मंगवाना	172	निजी	खेती	288	पटेल गंगादास पाचन वसानी
7	नखत्राणा	मंगवाना	173	सरकार	गैर-कृषि	725	जियापर ट्यूबवेल
8	नखत्राणा	मंजल	455	सरकार	गैर-कृषि	1550	श्री सरकार
9	नखत्राणा	मंजल	215	निजी	खेती	2274	सारदाबेन रसिकलाल पटेल
10	नखत्राणा	मंजल	313	निजी	खेती	1203	विनोद राजा पटेल

[फा. सं. ई- 642610-02]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक - II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th June, 2026

S.O. 3440(E).— whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, G.S.R. 455 (E), dated the 3rd July, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 11th January, 2023 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, ROB-62, in connection with Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 Km) extension up to Vayor New Line (24.65 KM).

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Divya Bhaskar” (Gujarati), “The Times of India (English), & “Yung Leader ” (Hindi) dated 11th July, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act, And whereas, the objections have been received and rejected by the competent authority and accordingly orders have been passed, And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: ROB-62, in connection with Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 KM) extension up to Vayor New Line (24.65 KM) in District Kutch in the state of Gujarat.

Name Of District: - Kutch Tauka: Nakhatrana

Sr. No.	Name of the Tauka	Name of the village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area in in Sq. mt Sq. Mt	Name of the land owner /interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nakhatrana	Mangvana	165	Private	Agriculture	1404	Vijyaben Ravji Pokar
2	Nakhatrana	Mangvana	164	Private	Agriculture	984	Vijyaben Ravji Pokar
3	Nakhatrana	Mangvana	166/1	Private	Agriculture	1301	Haresh Vishram Patel and Suresh Vishram Patel
4	Nakhatrana	Mangvana	358/1	Government	Non-Agriculture	1605	Jiya par Gram Panchayat
5	Nakhatrana	Mangvana	171/1	Private	Agriculture	46	Patel Gangadas Paachan Vasani
6	Nakhatrana	Mangvana	172	Private	Agriculture	288	Patel Gangadas Paachan Vasani
7	Nakhatrana	Mangvana	173	Government	Non Agriculture	725	Jiya par Tubewell
8	Nakhatrana	Manjal	455	Government	Non-Agriculture	1550	Government
9	Nakhatrana	Manjal	215	Private	Agriculture	2274	Saardaben Rasiklal Patel
10	Nakhatrana	Manjal	313	Private	Agriculture	1203	Vinod Raja Patel

[F. No. E-642610-02]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager - II